



Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम विद्यार्थियों के नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन

जितेन्द्र सिंह

सहायक आचार्य

सम्बल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

नवलगढ़ रोड, शिवसिंहपुरा, सीकर

Email-jjsspk@gmail.com, Mobile-7017557058

First draft received: 14.11.2023, Reviewed: 16.11.2023, Accepted: 24.11.2023, Final proof received: 27.12.2023

सार-संक्षेप

किसी भी स्वाधीन देश में उच्च गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने के लिए 64 वर्ष का समय एक लम्बा अरसा प्रतीत होता है। परन्तु सच्चाई यही है कि भारत अभी भी अपने सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के अपने संकल्प को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। न केवल उन्हें शालाओं में भर्ती करना वरन् उनकी पढ़ाई को जारी रखना भी, आज दिन तक एक समस्या बनी हुई है। एम.एच.आर.डी. द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार “देश भर में स्कूल न जाने वाले बच्चों में बिहार में ४६ लाख, उत्तरप्रदेश में ४० लाख, पश्चिम बंगाल में ३० लाख, उड़ीसा में २० लाख, असम में १३ लाख, झारखण्ड में १० लाख, मध्यप्रदेश में ७ लाख और राजस्थान में ८ लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से दूर हैं।

मुख्य शब्द : प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान आदि.

प्रस्तावना

प्रारम्भ से ही प्राथमिक शिक्षा को जितना प्रश्न दिया जाना अपेक्षित था, वह सम्भव नहीं हो पाया अथवा उसके प्रति प्रशासनिक और राजनैतिक प्रतिवर्द्धन का अभाव रहा और कमोबेश इसी प्रकार की सम्भावनाएँ अब ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के विभिन्न राज्यों में विशेषकर उत्तरी भारत के राज्यों में इसके क्रियान्वयन की प्रारंभिक स्थिति से स्पष्ट दिखाई देने लगी है। किसी भी स्वाधीन देश में उच्च गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने के लिए 64 वर्ष का समय एक लम्बा अरसा प्रतीत होता है। परन्तु सच्चाई यही है कि भारत अभी भी अपने सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के अपने संकल्प को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। न केवल उन्हें शालाओं में भर्ती करना वरन् उनकी पढ़ाई को जारी रखना भी, आज दिन तक एक समस्या बनी हुई है। एम.एच.आर.डी. द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार “देश भर में स्कूल न जाने वाले बच्चों में बिहार में ४६ लाख, उत्तरप्रदेश में ४० लाख, पश्चिम बंगाल में ३० लाख, उड़ीसा में २० लाख, असम में १३ लाख, झारखण्ड में १० लाख, मध्यप्रदेश में ७ लाख और राजस्थान में ८ लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से दूर हैं। इस संबंध में एक विशेष तथ्य यह भी है कि इस अभियान को लागू करते समय प्रदेश सरकारों द्वारा सामान्य एवं मुस्लिम विद्यार्थियों और विशेष रूप से बालिकाओं पर जोर दिये जाने की बात की गयी थी। लेकिन यह विडम्बना ही है कि प्रदेश में स्कूलों से दूर रहे बच्चों में अधिक तादाद इन्हीं वर्गों की है। इन सब तथ्यों के विचारात्मक दृष्टिकोणों के मंथन से यह बात साफ समझ में आती है कि “राष्ट्रीय निर्माण एवं सन्तुलित आर्थिक-सामाजिक के अपने दायित्वों के चलते आज शिक्षा, एक प्राथमिकता बन कर उभरी है। आज की औद्योगीकरण की प्रक्रिया में देश की संलग्नता और उसकी वैश्वक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के प्रयास में उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक अर्थात् बुनियादी शिक्षा

की आवश्यकता है, जिससे गांवों तक शिक्षा में उच्च नामांकन दर एवं कार्यशील व्यवस्था हो।”

अध्ययन का महत्व

आजादी के बाद से ही हमारी सरकार शिक्षा के विस्तार में लगी है। अभी हाँल ही में संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने से सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। “सभी तक शिक्षा की पहुँच हो” के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं, उनमें से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम ‘सर्व शिक्षा-अभियान’ एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जनसंख्या की दृष्टि दृसरे स्थान का तमगा हमारी हर योजना व कार्यक्रम को स्वतः ही परिणामात्मक दृष्टि से विश्व का एक बड़ा कार्यक्रम बना देता है। इसमें बहुत गौरवान्वित होने की स्थिति नहीं है क्योंकि हमारे कार्यक्रम व योजनाओं की सफलता तय किये गये लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों से कोसों दूर होती है। अतः उनकी क्रियान्वयिताओं की तकनीकी खामियों की पहचान करना उन्हें लक्ष्यपरक बनाने जैसे प्रयास आज भी हमारे शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकता है। अतः इस दिशा के अनुसंधानीय प्रयास स्वयंमेव महत्वात्मक उपागम है।

शिक्षा के प्रसार का एक महत्वपूर्ण संकेतांक नामांकन है। हालांकि यह हमेशा सही साबित नहीं होता है क्योंकि नामांकन से अभिप्राय पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समाप्ति से नहीं है। शुरू में यह विश्वास किया जाता था कि अगर शिक्षा की पहुँच लोगों तक हो जाती है तो लोग इसका फायदा उठाएंगे और शैक्षिक सुविधाओं का उपभोग करेंगे। यह सादृश्यता पश्चिम के आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित है, जिसमें यह आशा की जाती है, सुविधा होगी तो लाभ सभी लोग अपने आप ले लेंगे। यह मॉडल न तो आर्थिक-विकास और न ही शैक्षिक-विकास में सफल रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन ने शिक्षा की पहुँच को वृद्धि के पथ पर प्रशस्ति

किया। कुछ हद तक इस अभियान के तहत गाँव-गाँव में शिक्षा की सुविधाएँ भी पहुँची हैं। नामांकन पर भी विशेष जोर प्रदान किया गया, इन सब प्रयासों के चलते भी एस.एस.ए. अभियान भारत में गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा व सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को छू नहीं पाया। अतः इस दिशा की बाधाओं को जानने व शिक्षा के नये विकल्पों की खोजबीन करना, शैक्षिक व सामाजिक दोनों जगतों में सदा से ही महती स्वरूप आवश्यकतापरक् दृष्टिकोण रहा है।

अध्ययन का औचित्य

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को लेकर देश-विदेश में किये गये अध्ययनों से भी यह प्रमाणित होता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य संबंधित जन समुदाय की भागीदारी, शिक्षकों को प्रेरित रखकर नियमित मॉनीटरिंग से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रवेश व नामांकन अभियान की व्यूह रचना, शिक्षकों का समाज से जुड़कर बालक-बालिका की प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने की तकनीकों में उनका अभियुक्तीकरण कर, कार्य योजना की ग्राम स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करने की रहेगी। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दृष्टि से देश के 6 से 14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं की शिक्षा तक पहुँच, सहभागिता एवं उपलब्धियों की नेतृत्वगामी योजना है। अतः उसकी लक्ष्यपरकता एवं विफलताओं की पड़ताल संबंधी कार्यक्रम अपने आप में औचित्य पूर्ण व सार्थक है।

समस्या कथन

दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम विद्यार्थियों के नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य

- १४ दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम छात्रों के नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- २४ दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम छात्रों के नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

- १४ दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम छात्रों के नामांकन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
- २४ दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम छात्रों के नामांकन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

परिसीमन

- प्रस्तुत अध्ययन को दिल्ली राज्य के प्राथमिक स्तर के सामान्य एवं मुस्लिम विद्यार्थियों तक सीमित किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन के क्षेत्र को दिल्ली राज्य के सभी जिलों तक सीमित किया गया है।
- अध्ययन के लिये प्रत्येक जिले से 5 प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन के न्यादर्श को 10 से 14 वर्ष के सामान्य (400) एवं मुस्लिम (400) विद्यार्थियों तक सीमित रखा गया है।

शोधविधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान (M) प्रमाणिक विचलन (SD) एवं क्रांतिक अनुपात मान (C.R. Value) की गणना की गयी है।

सम्पर्कों का सारणीयन एवं विश्लेषण

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्ता ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी संख्या - T.IV.1

दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम छात्रों के नामांकन के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना

छात्र	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रांतिक अनुपात (CR.Value)	सार्थकता स्तर	
					.05	.01
सामान्य	200	85.64	10.24	8.26		
मुस्लिम	200	81.28	9.34			

$$df=(N_1-1)+(N_2-1)=200+200-2=398$$

विश्लेषण

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्राप्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम छात्रों के नामांकन में सार्थक अन्तर है।

सारणी संख्या - T.IV.2

दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम छात्राओं के नामांकन के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना

छात्राएँ	संख्या (N)	माध्य (Mea n)	मानक विचल न (S.D.)	क्रांतिक अनुपा त (CR. Valu e)	सार्थकता स्तर	
					.05	.01
सामान्य	200	90.27	7.16	14.28		
मुस्लिम	200	95.64	12.37			

$$df=(N_1-1)+(N_2-1)=200+200-2=398$$

विश्लेषण

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्राप्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् दिल्ली राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य एवं मुस्लिम छात्राओं के नामांकन में सार्थक अन्तर है।

शैक्षिक उपयोगिता

- प्रस्तुत शोध यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता के उन्नयन के लिये सरकार द्वारा व्यापक स्वरूप नियोजित सर्व शिक्षा अभियान सामान्य एवं मुस्लिम वर्ग के संबंध में कितना उपयोगी व लक्ष्यपरक साबित हुआ है।
- शिक्षा अधिकार विधेयक लागू होने की दशा में प्रस्तुत शोध के परिणाम दिल्ली राज्य की भावी शैक्षिक आयोजना (प्राथमिक-शिक्षा के संदर्भ) के आधार बन सकते हैं।
- प्रस्तुत अनुसंधानकर्ता ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया गया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है -
- प्रस्तुत अनुसंधानकर्ता ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया गया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है -

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कपिल, एच.के., “अनुसंधान विधियाँ (व्यवहारिक विज्ञानों में) एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा-2007.
2. कुमार, कृष्ण एवं लतिका ”बालिका सशक्तिकरण में कमी क्या है?, शिक्षा विमर्श दिग्न्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति, जयपुर, वर्ष-10, अंक-3, मई-जून-2008.
3. कुमार महेश, “शिक्षा नीति की नीयत और नियति” भारतीय पक्ष, नई दिल्ली, वर्ष-७, अंक-६, जून 2010.
4. कुमार, संजीव एवं सिंह, सुधाकर “सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवाकालीन प्रशिक्षण पा रहे स्कूल शिक्षकों के समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन” परिप्रेक्ष्य, न्यूपा नई दिल्ली, वर्ष 15, अंक 3, दिस. 2008.